

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

एस0 ओ0:

/रा0, दिनांक

चूँकि राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम सौँढ थाना नं0-347 परगना-फरकिया, थाना-गोगरी, जिला-खगडिया में मौजा-सौँढ, थाना नं0-347, गोगरी नारायणपुर तटबंध रिटायर्ड बांध हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा अधिग्रहण अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचना किया जाता है कि उपर्युक्त योजना के पूर्व ग्राम सौँढ थाना नं0-347 के भीतर कामोवेस बीघाXकट्टाXछटांकXधूर का, जो मानक से 1.14 एकड़ के बराबर होता है। एक भूखण्ड अपेक्षित है। जिसमें 1.14 एकड़ भूमि कृषि योग्य भूमि है। X एकड़ बंजर भूमि है। जिसका खेसरा सं0-~~2244~~²²⁴⁶, 2247, 2578, एवं 2581 का अंश है।

इस भूखण्ड की चौहदी निम्न प्रकार है।

खण्ड 'ए'		खण्ड 'बी'	
उत्तर	-- खेसरा सं0 2581 का अंश।	उत्तर	-- खेसरा सं0 2577 का अंश।
दक्षिण	-- खेसरा सं0 2581 का अंश।	दक्षिण	-- खेसरा सं0 2578 का अंश।
पूरब	-- खेसरा सं0 2577 एवं 2578 का अंश।	पूरब	-- खेसरा सं0 2576 का अंश।
पश्चिम	-- खेसरा सं0 3992 का अंश।	पश्चिम	-- खेसरा सं0 2577 एवं 2581 का अंश।

खण्ड 'सी'


उत्तर	-- खेसरा सं0 2247 एवं 2241 का अंश।
दक्षिण	-- खेसरा सं0 2241 एवं 2247 का अंश।
पूरब	-- खेसरा सं0 2144 एवं 2576 का अंश।
पश्चिम	-- सर्वे सड़क खेसरा सं0 2574 का अंश एवं खेसरा सं0 2247 का अंश।


यह अधिसूचना (बिहार अधिनियम 11.1961 द्वारा यथा संशोधित) अधिनियम-1 1894 की धारा 4 के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।


उक्त भूमि का नक्शा भूमि अर्जन पदाधिकारी खगडिया के कार्यालय में देखा जा सकता है। बिहार राजस्व भूमि अर्जन पदाधिकारी खगडिया और उनके स्टॉक तथा इस परियोजना के आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे के पदाधिकारियों और स्टॉक का प्राधिकृत करती है कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट आपके कार्य के समुचित निष्पत्ति के लिये अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।


और चूँकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि बंजर/कृषि योग्य है तथा उसका/उसकी तुरंत अर्जन आवश्यक है इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (4) के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि/भूमियों पर लागू नहीं होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
खगडिया।


अपर समाहर्ता,
खगडिया।


समाहर्ता,
खगडिया।


सरकार के अवर सचिव


J-14 / डी0एल0ए0 खगड़िया (बाँघ)-46 / 13-25.9.6.. / रा0, पटना-15 दि0-13/11/2013

ज्ञापांक / रा0, दिनांक

प्रतिलिपि:- 1. तीन अतिरिक्त प्रतियों सी0डी0 के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग बिहार, पटना को दैनिक समाचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संसकरण प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- 2. प्रभारी उपसमाहर्ता जिला गजट खगड़िया को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की पाँच-पाँच प्रतियों इस विभाग एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय, खगड़िया को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- समाहर्ता/अपर समाहर्ता एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


13/11/13
सरकार के अवर सचिव
